न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 09/2025

1. ब्रह्मदेव पुत्र अमरलाल जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन।

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादी

निर्णय **दिनांकः–10.04.2026**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 512, 613, 270, 320, 37, 38, 786, 887, 590, 391, 394, 489, 53, 575, 577, 581, 593, 598, 844, 897, 1148, 771 बाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी जरिये विरासतन मुझ वादी को मेरे पिता अमरलाल से प्राप्त हुई है एवं उक्त आराजी का मैं वादी अपने पिता अमरलाल के जीवनकाल से ही काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा हूँ। उक्त आराजी का मेरे पिता की मृत्यू के उपरान्त विरासत दर्ज करते समय मुझ वादी का नाम ब्रह्मजीत दर्ज कर दिया था क्योंकि गांव में बोलचाल की भाषा में मुझ वादी को ब्रह्मजीत एवं ब्रह्मदेव दोनों नामों से पुकारते थे। जबकि मुझ वादी का नाम समस्त पहचान दस्ताबेजात में नाम ब्रह्मदेव दर्ज है तथा उक्त दोनों नाम मुझ वादी के है। पहचान दस्ताबेजों एवं जमाबंदी में पृथक–पृथक नाम होने के कारण वादी उक्त विवादित आराजी का सही से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है एवं अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम होना पड रहा है। दिनांक 12.02.2025 को वादी जब किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन कराने गया तो पहचान दस्ताबेजों एवं जमाबंदी में अलग–अलग नाम होने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका जिसकी शुद्धि बाबत् वादी जब तहसीलदार उच्चैन के पास गया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण वादी ने उक्त वाद पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम मुढेरा में वादी ब्रह्मदेव/ब्रह्मजीत एक ही व्यक्ति है, जिसे गांव में ब्रह्मजीत के नाम से बोला जाता है जबकि वास्तिबिक दस्ताबेज यथा आधार कार्ड आदि में वादी का नाम ब्रह्देव दर्ज है। जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में ब्रह्मदेव के स्थान पर ब्रह्मजीत दर्ज है जो उस समय चढाये

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

विरासत के नामांतरकरण के अनुसार है। वाद पत्र के समर्थन में स्वंम वादी, गोपाल सिंह पुत्र नन्दले एवं समय सिंह पुत्र लच्छोराम के द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी के द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी के पिता अमरलाल की मृत्यू के पश्चात विरासत का नामांतरकरण दर्ज करते समय वादी का गांव में बोल चाल की भाषा का नाम ब्रह्मजीत दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम ब्रह्मदेव है एवं वादी के सभी पहचान दस्ताबेजों में भी वादी का सही नाम ब्रह्मदेव दर्ज है। जमाबंदी एवं पहचान दस्ताबेजों में अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम होना पड रहा है। जबकि ब्रह्मदेव एवं ब्रह्मजीत एक ही व्यक्ति के नाम है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का सही नाम ब्रह्मदेव दर्ज किया जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 एवं नामांतरकरण रजिस्टर ग्राम मुढेरा, पहचान दस्ताबेज यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड आदि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा अपने जबाव में ब्रह्मदेव एवं ब्रह्मजीत एक ही व्यक्ति के नाम होना अंकित किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सभी पहचान दस्ताबेजों में वादी का नाम ब्रह्मदेव दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में ब्रह्मजीत के स्थान पर ब्रह्मदेव दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी (मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2075–78) खसरा नम्बर 512, 613, 270, 320, 37, 38, 786, 887, 590, 391, 394, 489, 53, 575, 577, 581, 593, 598, 844, 897, 1148, 771 वाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदार वादी के अशुद्ध नाम ब्रह्मजीत पुत्र अमरलाल को कलमजन कर उसके स्थान पर शुद्ध नाम ब्रह्मदेव पुत्र अमरलाल दर्ज रिकार्ड किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन

व इजलास श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (R.A.S.)

ब्रह्मदेव बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत धारा 88, 89, 188 RTA

मुकदमा नं. 09/2025 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवो. मिनजानिब ....

.... मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी (मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075-78) ख० नं० 512, 613, 270, 320, 37, 38, 786, 887, 590, 391, 394, 489, 53, 575, 577, 581, 593, 598, 844, 897, 1148, 771, वाके ग्राम मुडेरा तहसील उच्चैन की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदार वादी के अशुद्ध नाम ब्रह्मचारि पुत्र अमरलाल को कलमजन कर उसके स्थान पर शुद्ध नाम ब्रह्मदेव पुत्र अमरलाल दर्ज रिकार्ड किया जावे।

आज.......... मुबलिग.......... बाबत्..........

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक.......... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 04 वर्ष 2026

को जारी की गई।

दस्तखत [signature] सहायक कलक्टर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर..........		
महनताना वकील)पर..........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 09/2025

1. ब्रह्मदेव पुत्र अमरलाल जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन।

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादी

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)